निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 14./2021

तारीख दायराः— 25.10.2021

उनवान

1. शिवकरण पुत्र गोरधन जाति कुम्हार निवासी ग्राम कुराड़ियाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा
2. ओमप्रकाश पुत्र गोरधन।
3. हनुमान प्रसाद पुत्र गोरधन।
4. नरेश पुत्र गोरधन।
5. प्रहलाद पुत्र गोरधन जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम अमलसरा तहसील अन्ता जिला बांरा।
6. श्रीमती कल्याणी बाई पुत्री गोरधन पत्नी भैरू लाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम विनोदखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा।

—वादीगण

बनाम

1. छोटूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण।
2. परमानन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण।
3. श्रीमती भूली बाई पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम कुराड़ियाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा।
4. श्रीमती रामजौघ्या बाई पुत्री लक्ष्मीनारायण पुत्री भैरू लाल कुम्हार निवासी ग्राम मानपुरा तहसील अन्ता जिला बांरा।
5. दीपक पुत्र रामप्रसाद।
6. राकेश पुत्र रामप्रसाद।
7. राजेन्द्र पुत्र रामप्रसाद।
8. रानी बाई पुत्री रामप्रसाद।
9. श्रीमती लीला बाई पत्नी रामप्रसाद जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम कुराड़ियांकलां तहसील सांगोद जिला कोटा।
10. बजरंग लाल पुत्र रामदेव जाति कुम्हार निवासी ग्राम कुराड़ियाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा।
11. श्रीमती कमला पुत्री रामदेव पत्नी रामकुमार जाति कुम्हार निवासीनी ग्राम अमलसरा तहसील अन्ता जिला बांरा।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब सांगोद

— प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 54 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री महेश कुमार तिवारी (वकील वादीगण) दिनांक :– 26.10.2021

श्री ओम प्रकाश नामदार (वकील प्रतिवादीगण)

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम रोलाना पटवार हलका विनोदखुर्द तहसील सांगोद में खाता नया 98 पुराना 86 के खसरा नं. 541 की 0.45 हैक्टर, 542 की 0.88 हैक्टर, 623 की 0.24 हैक्टर तथा खसरा नं. 668 की 1.89 हैक्टर कुल किता 4 की 3.46 हैक्टर आराजीयात स्थित हैं, जिसमें वर्तमान राजस्व अभिलेखो में वादीगण के पिता मृतक गोरधन जी का 1/6 हिस्सा और प्रतिवादी नं. 1 छोटूलाल 2. परमानन्द 3. भूलीबाई 4. रामजोध्या बाई प्रत्येक का 1/10 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 5. दीपक 6. राकेश 7. राजेन्द्र 8. रानीबाई 9. लीला बाई प्रत्येक का 1/50 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 10 बजरंग लाल व प्रतिवादी नं. 11 कमला प्रत्येक का 1/16 हिस्सा राजस्व अभिलेखो (जमाबन्दी) में अंकित हैं। नकल जमाबन्दी 2075 से 2078 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं।

वादग्रस्त आराजीयात में हाल सैटलमेन्ट से पूर्व प्रतिवादी नं. 10 बजरंग लाल प्रतिवादी नं. 11 कमला व वादीगण के पिता स्व0 गोरधन जी का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 के पिता व प्रतिवादी नं. 5 लगायत 8 के दादा तथा प्रतिवादी नं. 9 के ससुर स्व0 लक्ष्मीनारायण जी का 1/2 हिस्सा राजस्व अभिलेखो में अंकित था। इस प्रकार वादग्रस्त आराजीयात के 1/4 हिस्से में प्रतिवादी नं. 10 व 11 सहखातेदार स्व0 रामदेव के वारिस होने से संयुक्त रूप से तथा वादीगण के पिता स्व0 गोरधन जी का 1/4 हिस्सा व शेष आधे हिस्से में प्रतिवादी नं. 1 लगायत 9 के पूर्वज स्व0 लक्ष्मीनारायण जी का नाम अंकित था।

बाद सैटलमेन्ट वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण व प्रतिवादीगण का सहवन से गलत हिस्सा दर्ज कर दिया, जबकि वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण सहखातेदार मृतक गोरधन के वारिसान होने से वादीगण का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 1 लगायत 9 सहखातेदार

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

लक्ष्मीनारायण के वारिसान होने से संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 10 व 11 सहखातेदार मृतक रामदेव के वारिसान होने से संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा बनता हैं। और इसी हिस्से के मुताबिक वादीगण व प्रतिवादीगण मौके पर आराजीयात अपने पूर्वजों के समय से हुये विभाजन के मुताबिक मौके पर काश्त करते आ रहे हैं। सैटलमेन्ट वालों को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के सैटलमेन्ट के पूर्व के सहखातेदार के हिस्से को बदलने का अधिकार नहीं था, उनको तो प्रिवियस रिकार्ड की ही एन्ट्री करनी थी। उनके द्वारा दर्ज किया गया हिस्सा अधिकार विहीन होने व खिलाफ कानून होने से निरस्त होने योग्य हैं।

वाद ग्रस्त आराजीयात में वादीगण संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से को, प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से को तथा प्रतिवादी नं. 10 व 11 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से को काश्त करते आ रहे हैं। लेकिन राजस्व रिकार्ड में हिस्सा गलत दर्ज हो जाने से अपने हिस्से की आराजीयात का विकास करने के लिये व अन्य राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण पूर्व खातेदार मृतक गोरधन के वारिसान होने से 1/4 हिस्सा होने, प्रतिवादी नं. 1 लगायत 9 पूर्व खातेदार मृतक लक्ष्मीनारायण के वारिसान होने से संयुक्त रूप से 1/2 होने तथा प्रतिवादी नं. 10 व 11 सह खातेदार मृतक रामदेव के वारिस होने से संयुक्त रूप 1/4 हिस्सा होने की घोषणा करवाते हुये हिस्से मुताबिक मौके पर काबिज वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से में आने वाली आराजीयात का विभाजन कराकर पृथक राज लगान अंकन कराने के लिये यह वाद पेश कर रहे हैं। पक्षकारान मुकदमा के वादग्रस्त आराजीयात में हिस्से की घोषणा करने का माननीय न्यायालय को ही अधिकार प्राप्त हैं। इस संबंध में पक्षकारान मुकदमान ने प्रतिवादी नं. 12 तहसीलदार साहब सांगोद ने वादीगण के मौके पर काबिज 1/4 हिस्से का विभाजन करने के लिये आज से डेढ़ माह पूर्व कहने पर उनके द्वारा उक्तानुसार बटवारा करने से मना कर माननीय न्यायालय में वाद पेश करने के लिये कहा।

वादीगण व प्रतिवादीगण वाद ग्रस्त आराजीयात पर परस्पर सहमति अपने पूर्वजों के समय से यानि कि 40 वर्ष पूर्व से हुये विभाजन के मुताबिक निम्नानुसार आराजीयात हिस्से में आई थी, जिसके मुताबिक पृथक–पृथक काश्त कर रहे हैं–

1. प्रतिवादी सं0 1 ता 9 के संयुक्त रूप से खसरा नं. 668 की 1.89 है. आराजी आई है जिस पर वह काश्त कर रहे हैं।
2. वादग्रस्त आराजी में से खसरा नं. 541 की 0.45 है. ख.न. 542 की 0.88 है. ख.न. 623 की 0.24 है. कुल किता 3 की कुल 1.57 है. आराजी मौके पर एक चक के रूप में है जिसमें से पश्चिमी तरफ का 1/2 हिस्सा अर्थात 0.785 है. वादीगण के हिस्से में आया था जिस पर

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

वादीगण काश्त कर रहे हैं तथा पूर्वी तरफ का 0.785 है. आराजी प्रतिवादी सं. 10 व 11 के संयुक्त रूप से हिस्से में आई थी जिस पर वह काश्त कर रहे हैं।

ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार मृतक गोरधन की मृत्यु हो जाने और उनके वारिसान वादीगण होने की घोषणा करवाते हुए वादीगण का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीगण 1 ता 9 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 10 व 11 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा होने की घोषणा की डिक्री पारित करते हुए वादपत्र में वर्णितानुसार हुये विभाजन के मुताबिक खाते पृथक–पृथक किये जाने के लिए विभाजन की डिक्री पारित करवाने के वास्ते वादीगण यह वाद प्रस्तुत कर रहे हैं।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र में वर्णित ग्राम रोलाना पटवार हलका विनोदखुर्द तहसील सांगोद में खाता नया 98 पुराना 86 के खसरा नं. 541 की 0.45 हैक्टर, 542 की 0.88 हैक्टर, 623 की 0.24 हैक्टर तथा खसरा नं. 668 की 1.89 हैक्टर कुल किता 4 की 3.46 हैक्टर आराजीयात के सहखातेदार मृतक गोरधन के वादीगण वारिसान होने से उनके 1/4 हिस्से के वादीगण संयुक्त रूप से सहखातेदार होने, प्रतिवादी सं. 1 ता 9 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा होने तथा प्रतिवादी सं. 10 व 11 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा होने की घोषणा की डिक्री पारित करते हुए वाद पत्र में वर्णितानुसार हुए विभाजन के मुताबिक वादीगण व प्रतिवादीगण के खाते पृथक–पृथक किये जाने व पृथक राज लगान अंकन करने के लिए विभाजन की डिक्री पारित की जावें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 11 की ओर से वकील श्री ओम प्रकाश नामदार ने वकालतनामा मय जवाब दावा प्रस्तुत किया। जवाब सरकार अप्राप्त होने के कारण जवाब सरकार बंद किया जाता है। इसके पश्चात वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 11 ने स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्न प्रकार है–

1. वादीगण के हिस्से में संयुक्त रूप से वादग्रस्त आराजी में से ख.न. 668 की 1.89 है. आराजी में से पश्चिम तरफ का 1/2 हिस्सा अर्थात 0.945 है. आराजी पृथक से खाते में रहेगी जिस पर वादीगण सहखातेदार स्व. गोरधन के वारिसान की हैसियत से काबिज हैं।
2. प्रतिवादी सं. 10 व 11 के हिस्से में संयुक्त रूप से वादग्रस्त आराजी में से ख.न0 668 की 1.89 है. आराजी में से पश्चिम तरफ का 1/2 हिस्सा अर्थात 0.945 है. आराजी पृथक से खाते में रहेगी जिस पर प्रतिवादी सं. 10 व 11 संयुक्त रूप से काबिज हैं।
3. वादग्रस्त आराजी में से ख.न. 541 की 0.45 है., 542 की 0.88 है. 623 की 0.24 है. कुल 3 किता की कुल 1.57 है. आराजी में से प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के संयुक्त रूप से 4 /5 हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

पृथक से खाते में रहेगी तथा प्रतिवादी सं. 5 ता 9 के संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा आराजी पृथक से खाते में रहेगी, जिस पर प्रतिवादी सं. 1 ता 9 संयुक्त रूप से काबिज हैं।

वकील वादी द्वारा अपनी बहस में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की।

मेरे द्वारा बहस उभयपक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबंदी, जवाब दावा, राजीनामा इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

ग्राम रोलाना पटवार हलका विनोदखुर्द तहसील सांगोद में खाता नया 98 पुराना 86 के खसरा नं. 541 की 0.45 हैक्टर, 542 की 0.88 हैक्टर, 623 की 0.24 हैक्टर तथा खसरा नं. 668 की 1.89 हैक्टर कुल किता 4 की 3.46 हैक्टर आराजीयात में से वादीगण को ख.न. 668 की 1.89 है. आराजी में से पश्चिमी तरफ का 1/2 हिस्सा अर्थात 0.945 है. आराजी का तथा प्रतिवादी सं. 10 व 11 को ख.न. 668 की 1.89 है. आराजी में से पूर्वी तरफ का 1/2 हिस्सा अर्थात 0.945 है. आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। खसरा नं. 541 की 0.45 हैक्टर, 542 की 0.88 हैक्टर, 623 की 0.24 हैक्टर कुल 3 किता की कुल 1.57 है. आराजी में प्रतिवादी सं. 1 ता 4 को संयुक्त रूप से 4/5 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं. 5 ता 9 को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुकम में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 149/2021

तारीख दायराः– 25.10.2021

उनवान

1. शिवकरण पुत्र गोरधन जाति कुम्हार निवासी ग्राम कुराड़ियाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा
2. ओमप्रकाश पुत्र गोरधन।
3. हनुमान प्रसाद पुत्र गोरधन।
4. नरेश पुत्र गोरधन।
5. प्रहलाद पुत्र गोरधन जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम अमलसरा तहसील अन्ता जिला बांरा।
6. श्रीमती कल्याणी बाई पुत्री गोरधन पत्नी भैरू लाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम विनोदखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा। –वादीगण

बनाम

1. छोटूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण।
2. परमानन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण।
3. श्रीमती भूली बाई पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम कुराड़ियाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा।
4. श्रीमती रामजौघ्या बाई पुत्री लक्ष्मीनारायण पुत्री भैरू लाल कुम्हार निवासी ग्राम मानपुरा तहसील अन्ता जिला बांरा।
5. दीपक पुत्र रामप्रसाद।
6. राकेश पुत्र रामप्रसाद।
7. राजेन्द्र पुत्र रामप्रसाद।
8. रानी बाई पुत्री रामप्रसाद।
9. श्रीमती लीला बाई पत्नी रामप्रसाद जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम कुराड़ियांकलां तहसील सांगोद जिला कोटा।
10. बजरंग लाल पुत्र रामदेव जाति कुम्हार निवासी ग्राम कुराड़ियाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

11. श्रीमती कमला पुत्री रामदेव पत्नी रामकुमार जाति कुम्हार निवासीनी ग्राम अमलसरा तहसील अन्ता जिला बांरा।

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब सांगोद

– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 54 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री महेश कुमार तिवारी (वकील वादीगण)

दिनांक :– 26.10.2021

श्री ओम प्रकाश नामदार (वकील प्रतिवादीगण)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री महेश कुमार तिवारी मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

ग्राम रोलाना पटवार हल्का विनोदखुर्द तहसील सांगोद में खाता नया 98 पुराना 86 के खसरा नं. 541 की 0.45 हैक्टर, 542 की 0.88 हैक्टर, 623 की 0.24 हैक्टर तथा खसरा नं. 668 की 1.89 हैक्टर कुल किता 4 की 3.46 हैक्टर आराजीयात में से वादीगण को ख.न. 668 की 1.89 है. आराजी में से पश्चिमी तरफ का 1/2 हिस्सा अर्थात 0.945 है. आराजी का तथा प्रतिवादी सं. 10 व 11 को ख.न. 668 की 1.89 है. आराजी में से पूर्वी तरफ का 1/2 हिस्सा अर्थात 0.945 है. आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। खसरा नं. 541 की 0.45 हैक्टर, 542 की 0.88 हैक्टर, 623 की 0.24 हैक्टर कुल 3 किता की कुल 1.57 है. आराजी में प्रतिवादी सं. 1 ता 4 को संयुक्त रूप से 4/5 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं. 5 ता 9 को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुकम में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद